

20/8/24

पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष उ. गुणस्थान/वकील  
वादी को पर्याप्त अवसर दिये गये, जाह- जाह  
आवाजे लगाकर सब क्षुब्धता जर्न आये। पत्रावली-  
अवम हानि/ क्षुब्धता में खारिज की जाती  
है। फैसला सुनाने के बाद से एक ही।

सहायक कलेक्टर एवं  
उपरखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

